

प्रारूप 28

[नियम 54, नियम 58 (1), (3) और (4) देखिए।]

(आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र और प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन यदि यान अवक्रय/पट्टा/अडमान के करार के अधीन धारित है तो चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए। रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन के साथ दूसरी प्रति, तीसरी प्रति और चौथी प्रति आक्षेप न होने के प्रमाणपत्र के मिलने/इंकार किए जाने पर यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी, ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, के प्रमाणपत्र के मिलने/इंकार किए जाने पर यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी, ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता से यान हटाया जाना है, और साथ-साथ वित्त पोषक को वापस की जाएगी।)

भाग-1

आवेदन पत्र

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

.....

मेरा/हमारा यान को श्री/श्रीमती/कुमारी को, जो राज्य के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता में निवास करता है/करती है, विक्रय करने का इरादा है/ अतः मैं/हम अपने यान के लिए " आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र" देने के लिए अनुरोध करता हूँ/ करते हैं/ यान की विशिष्टियाँ नीचे दी जाती हैं:-

1. नाम और पता
2. पिता/पति का नाम
3. यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
4. यान का वर्ग
5. वह रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जिसने यान को मूल रूप से रजिस्टर किया था।
6. इंजन संख्यांक
7. चेसिस संख्यांक (पेंसिल प्रिंट भी लगाएँ)
8. राज्य में ठहरने की अवधि
9. वह अवधि जिस तक मोटर यान कर का संदाय किया गया है
10. क्या कर के लिए कोई मांग लम्बित है, यदि हो तो ब्यौरा दें
11. क्या यान किसी चोरी के मामले में अन्तर्वलित है, यदि हो तो ब्यौरा दें
12. क्या मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 53, धारा 54 या धारा 55 के अधीन कोई कार्यवाही किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य विहित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, यदि हाँ तो ब्यौरा दें
13. क्या यान प्रतिपद्ध माल के किसी मामले में अन्तर्वलित है यदि हाँ तो ब्यौरा दें
14. क्या यान किसी अवक्रय/पट्टा/आडमान करार के अधीन धारित है, यदि हाँ तो वित्त पोषक का पूरा नाम और पता दें मैं/हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि उक्त कथन सही है।

तारीख

रजिस्ट्रीकृत स्वामी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

भाग-2

किसी करार के अधीन मोटर यान की दशा में वित्त पोषक की सहमति

मैं/हम उपरोक्त यान की बावत् अवक्रय/पट्टा/आडमान करार का /के एक पक्षकार हूँ/हूँ।

1. उपरोक्त यान के ऊपर निर्दिष्ट-प्रायोजन के लिए "आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र" जारी किए जाने की सहमति देता हूँ/देते हैं।

2. उपरोक्त यान के लिए "आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र" जारी किए जाने की सहमति देने में निम्नलिखित कारणों से इंकार करता हूँ।

तारीख

वित्त पोषक के हस्ताक्षर

भाग-3

कार्यालय पृष्ठांकन

(मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 48 (3) के अधीन "आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र" देने/देने से इंकार किया जाना)

(1) यान जिसका विस्तृत ब्यौरा ऊपर अभिलिखित है, की बावत् "आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र" मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 48 (3) के अधीन दिया जाता है।

(उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जिस पर यह जारी किया गया है के प्रयोग के लिए)

(2) मोटरयान जिसका विस्तृत ब्यौरा ऊपर अभिलिखित है की बावत् मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 48 (3) के अधीन "आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र" दिया जाना निम्न लिखित कारणों से इंकार किया जाता है—

तारीख

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुद्रा सहित

पता

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए

सेवा में,

रजिस्ट्रीकृत स्वामी

वित्त पोषक

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

(उपरोक्त तीनों पक्षकारों को रजिस्ट्रीकृत रसीदी डाक से भेंजे)